**International Journal of Sociology and Humanities**
www.sociologyjournal.net
Online ISSN: 2664-8687, Print ISSN: 2664-8679
Received: 02-03-2022, Accepted: 17-03-2022, Published: 01-04-2022
Volume 4, Issue 1, 2022, Page No. 14-18

# बच्चों के विरुद्ध अपराध और आधुनिक प्रवृतियाँः एक समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य

**विमलेश यादव**
एसोसिएट प्रोफ़ेसर, समाजशास्त्र विभाग, एम.एम.एच. कॉलेज, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश, भारत

**सारांश**
बाल अपराध किशोर अपराध का प्रशस्त प्रवेश द्वार है, यही अपराध की प्रथम सीढी है। जहाँ से व्यक्ति आपराधिकता का प्रथम पाठ पढ़ता है और आपराधिक कृत्य करने में दक्षता हासिल करता है। प्रत्येक व्यक्ति की कुछ इच्छाएँ व आवश्यकताएँ होती है। जिन्हें वह समाज द्वारा प्रचलित व मान्य तरीकों से पूरा करना चाहता है लेकिन कभी–कभी वे इच्छाएँ सर्वमान्य तरीके से पूरी नहीं हो पाती ऐसी स्थिति में व्यक्ति की वो इच्छाएँ या तो दबी रह जाती हैं या व्यक्ति उन्हें पूरा करने के लिए समाज विरोधी व्यवहार या तरीके से पूरा करता है जो कि अपराध की श्रेणी में आ जाता है और वही व्यवहार व्यक्ति को अपराधी बना देता है। ''राज्य द्वारा निर्धरित आयु समूह 16 से 17 वर्ष के बच्चे द्वारा किये गये व्यवहार को 'बाल अपराध' कहा जाता है।''1 बच्चों के विरुद्व होने वाले अपराध को आधुनिक प्रवृति के रूप में ''शारीरिक और मानसिक दुर्व्यवहार, चोट, अपेक्षा या अशिष्ट व्यवहार एवं यौन दुर्व्यवहार को माना जा सकता है। बच्चों के विरुद्व यह अपराध घर, स्कूलों, अनाथालयों, आवासग्रहों, सडकों पर, कार्यस्थल पर, जेल एवं सुधार गृहों आदि में कहीं भी हो सकते हैं। बचपन में इस प्रकार की हिंसा के अनुंभव के कारण बच्चों में पूरी जिन्दगीं के लिए मानसिक व भावनात्मक विकारों में वृद्वि हो जाती है। जिससे उनका व्यक्तित्व विकास अवरुद्व हो जाता है। ''आज के बच्चे कल का भाविष्य हैं। जिनके कंधें पर समाज की पूरी जिम्मेदारी है। अगर हमारी अनदेखी की वजह से यह कंधें कमजोर पड जायेगें तो यह समाज के लिए कतई हितकारी नहीं होगा।''2 प्रस्तुत शोध बच्चों के प्रति होने वाले अपराधें के आधुनिक स्वरूपों को उजागर करने का एक सार्थक प्रयास है।
**उद्देश्य**
1. बच्चों के विरुद्व होने वाली अपराधिक प्रवृतियों को ज्ञात करना।
2. हिंसा के नवीनतम स्वरूपों को अध्ययन करना।
**शोध् विधिः** प्रस्तुत शोध पत्र बाल हिंसा के नवीन स्वरूपों को जानने के लिए तथ्यों के सकंलन एवं विश्लेषण पर आधारित है। तथ्य संकलन हेतु द्वितीयक सामग्री जैसे–समाचार पत्र, पत्रिकाएँ, वेबसाईट एवं लेखों का प्रयोग किया गया है। साथ ही शोध पत्र में वर्णनात्मक पद्वति का प्रयोग भी किया गया है।

**मूल शब्दः** बाल अपराध, हिंसा, दुर्व्यवहार, सुधार गृह, नैतिकता, असुरक्षा, अश्लीलता, शोषण, उत्पीड़न, श्रमिक, अपहरण, मजदूरी, तस्करी, उपभोग।

## प्रस्तावना

इस विषय का मौलिक प्रश्न यह है कि बालक कौन है? बालक की परिभाषा का संबंध विशेष आयु से है यह आयु प्रत्येक देश में भिन्न–भिन्न है। भारत में अधिनियम 2000 के अनुसार वर्ष से 18 वर्ष से कम आयु लड़के के लिए व 16 से कम लड़की के लिए मानी गयी है। बचपन जिन्दगी का बहुत सुन्दर सफर होता है इसमें न तो कोई चिंता होती है न कोई फिक्र। प्रत्येक बालक में लड़कपन व नटखटपन होता है। यह उसका प्राकृतिक स्वभाव है। कहा जाता है कि बच्चे मानव जाति के लिए एक दैविय उपहार हैं। ये भविष्य के स्तम्भ होते हैं। देश का विकास एवं प्रगति इन्हीं भावी कर्णधरों पर निर्भर होती है। इसके बावजूद हमारे समाज की सच्चाई यह है कि ''हमारे समाज के भावी कर्णधर, करोड़ों बच्चों का कोई सुरक्षित भविष्य नहीं। वे न घर में सुरक्षित हैं और न आसमान के नीचे। इस प्रकार के बच्चों का बचपन अभावों, शोषण व हिंसा की दर्द भरी दास्ताँ है जो प्रतिदिन असामाजिक कार्यों में लगे लोगों के हाथों की कठपुतली बनकर शोषित हो रहें या नारकीय जीवन बीता रहें हैं।''3 बालमन को ठेस पहुँचाने, उनका शोषण करने एवं गलत राह पर चलने के लिए मजबूर कौन करता है? परिवार, सामाज या उससे उत्पन्न नकारात्मक परिस्थितियाँ। बच्चों के प्रति होने वाली हिंसा का मुख्य केन्द्रबिन्दु यही है कि 18 वर्ष से नीचे आयु वर्ग के बच्चों के विरुद्व सभी प्रकार की हिंसा, हिंसा या अपराध में शामिल हैं। जो माता–पिता, साथी या अजनबी व्यक्ति एवं देख–रेख करने वाले व्यक्ति द्वारा उनके विरुद्व की जाये। बचपन में होने वाली हिंसा बालमन पर एक अमिट छाप छोड़ जाती है जो उस बालक के सम्पूर्ण स्वास्थ व अस्तित्व को प्रभावित करता है।

## बच्चों के प्रति हिंसा या अपराध

बच्चे सभ्यता और भविष्य के स्तम्भ होते हैं। किसी भी देश की भावी स्थिति का अनुमान वहाँ के बच्चों की स्थिति को देख कर ही लगाया जा सकता है। देश का विकास एवं प्रगति इन्हीं भावी कर्णधरों पर निर्भर होती है और इन्हीं के कन्धें पर मानवता की आधरशीला रखी जाती है। लेकिन बाल अपराध के बढ़ते आंकड़े भारत की नई पीढ़ी में बढ़ती निराशा और हिंसक प्रवृति की ओर इशारा करते हैं, आखिर इसकी वजह क्या है? मुख्य वजह है परिवार नामक संस्था का कमजोर

पड़ना, बढ़ती व्यवसायिकता और कमजोर कानून। एक ओर जहाँ हमारा देश विकास की ओर अग्रसर है, वहीं समाज की नैतिकता के स्तर में लगातार गिरावट की ओर अग्रसर है, वहीं समाज की नैतिकता के स्तर में लगातार गिरावट हो रही है। 'छोटा परिवार–सुखी परिवार' के दौर में माता–पिता के पास बच्चों के लिए समय नहीं होता, उनका ध्यान अधि क से अधिक धन कमाने में रहता है। यही समय बच्चों को निराशा व असुरक्षा की ओर ले जाता है। बालअपराध या बाल–हिंसा इसके लिए कौन जिम्मेदार है? इस प्रश्न के सामान्यतः दो उत्तर हैं। अपराध के लिए व्यक्ति स्वयं व दूसरा समाज, उत्तरदायी हैं। क्योंकि समाज के कुछ मूल्य होते हैं इन मूल्यों का उद्वेश्य समाज का कल्याण करना होता है। कभी–कभी व्यक्ति जानबूझकर इन मूल्यों की उपेक्षा करता है और कभी–कभी परिस्थितियाँ ऐसा करने के लिए बाध्य करती है। समाज के मूल्यों की रक्षा हेतु अनेक प्रथाओं व परम्पराओं का विकास होता है जिनका उल्लंघन अपराध कहलाता है। अपराध को रोकने के लिए सामाजिक निंदा के रूप में दण्ड भी दिया जाता है। जैसे– समाज से अलग कर देना।

**बाल–अपराध के लक्षण**

1. पारिवारिक सदस्यों की अपराधिक बात का प्रभाव न होना।
2. अश्लील साहित्य पढ़ना व चलचित्र देखना।
3. नितान्त अकेलेपन में रहना।
4. गलत संगत का प्रभावी होना।
5. नैतिक मूल्यों का प्रभावहीन होना।
6. प्रलोभन में शीघ्र आ जाना।
7. माता–पिता का जीवन सुखमय न होने के कारण निराश व गुमसुम दिखना।

परिवार में माता–पिता के मध्य अच्छे संबंध न होने पर बच्चों की देखभाल उचित नहीं होती या पिता के अल्पसमय में साथ छोड़ देने या नौकरी करने वाली महिलाओं का बच्चों की देखभाल के लिए आया का रखना। माता के न रहने पर दोनों ही स्थितियों में बच्चों की परवरिश पर पफर्क पड़ता है और बच्चों को मजबूरी में अन्यत्र कार्य करना पड़ता है सभी लक्षण उन बच्चों में परलक्षित होते हैं। बच्चों के प्रति विभिन्न दौर में अलग–अलग जगहों पर होने वाली मुख्य व नवीनतम हिंसाओं को विभिन्न प्रकारों या स्वरूपों के माध्यम से समझ सकते हैं।

**बच्चों के विरुद्व अपराध की आधुनिक प्रवृतियाँ**

**सामान्यतः** वर्तमान चकाचौंध भरे समाज में बालकों के प्रति होने वाले अपराधें की अधिकता आधुनिकता की अवधारणा को संशय के घेरे में खड़ा करती है। यह देश के नैतिक विवेक का क्षरण है। देश के होनहार बालकों के प्रति हिंसा के मुख्य स्वरूप जैसे–

1. **भ्रूण हत्याः** सभी जानते हैं कि भ्रूण हत्या पुत्र की चाह में की जाती है, बहुत कम देखने को मिलता है कि मैडिकल की समस्या के कारण किसी भ्रूण को मारा जाता हो। भारतीय समाज में एक माँ कभी नही चाहती कि उसकी कोख में पल रहे बच्चे की हत्या की जाए। लेकिन पुत्र की चाह में रिश्तेदार और समाज इस हत्या को करने से गुरेज नही करते। भारत में यह कानूनी अपराध है लेकिन चोरी छिपे कहीं न कहीं यह आज भी जारी है। जिसकी सूचना आए दिन हमें अख़बार आदि के माध्यम से मिल जाती है।

2. **बच्चों की गुमशुदगीः** घर से स्कूल, बाजार जाते वक्त या खेलते–खेलते बच्चों का गायब हो जाना ही गुमशुदा कहलाता है। जिसकी तलाश के लिए रिर्पोट दर्ज होते ही बच्चों का नाम, पता, फोटो सहित दीवार व 'डिजिटल वाल' पर फलैश हो जाती है।
3. **बालक के प्रति क्रूरताः** कम उम्र के बच्चों के प्रति अनदेखी, भय पैदा करना, बुरा बर्ताव, इस तरह की हिंसा माता–पिता, संरक्षक, घर, स्कूल, अनाथालय, संरक्षणग्रह इत्यादि में होती है।

4. **मनोवैज्ञानिक क्षति पूर्ण हिंसाः** बच्चों को दूसरे ग्रुप द्वारा चिढ़ाना, अश्लील मैसेज, फोटो भेजकर गलत वीड़ियो क्लिप बनाकर वायरल करने की धमकी देना, राह चलते कमेंट करना, पीछा करना इत्यादि। इस प्रकार की हिंसा स्कूल या ऑनलाइन बात करके ;मॉल, पार्क, होटल पर मिलकर होती हैं। इसमें बच्चों का लगातार भौतिक, शारीरिक, मानसिक व सामाजिक उत्पीड़न शामिल है।

5. **बाल श्रमिकों का शोषणः** इस प्रकार का शोषण किसी भी स्थान चाहे होटल, दुकान, फैक्ट्री या अन्यत्र कहीं भी बच्चों को कम पैसे देकर अधिक काम लेना के रूप में समाज में व्याप्त है। यह हिंसा पारिवारिक निर्धनता व मूलभूत सुविधाओं के उपलब्ध न होने के कारण होती है।

6. **भीख माँगने के प्रयोजन के लिए बालक का नियोजनः** सड़क किनारे, रेलवे प्लेटफॉर्म इत्यादि पर चरस–गांजा अफीम का सेवन कराकर, गलत कार्य कराना, बाल हिंसा या अपराध के स्वरूप ही हैं।

7. **बालकों का किसी प्रयोजन के लिए विक्रयः** वेश्यावृति एवं अंगों का प्रत्यारोपण इत्यादि के लिए भी बच्चों का शोषण होता है।

8. **शारीरिक दंड़ः** परिचितों एवं अजनबियों द्वारा या घरेलू कार्य करने वाले बालकों के प्रति, दुकान, होटल में कार्यरत बालकों के विरुद्व हथियारों या मारपीट के द्वारा प्रताड़ित करना भी बच्चों के प्रति अपराध ही है।

**9. उग्रवादी समूहों द्वारा निःसशक्त बालकों का उपयोगः** जिन बच्चों के कोई संरक्षक या माता–पिता नही होते उनको धन का लालच देकर उग्रवादी समूह गलत कार्यो का प्रशिक्षण देकर इस्तेमाल करते हैं।

**10. बच्चों का अपहरणः** माता–पिता से पिफरोती वसूल करना न मिलने पर उनके अंगों की खरीद फरोख्त करना या मार देना इत्यादि।

**11. बंधुआ मजदूरीः** ये अधिकाशंतः कृषि क्षेत्र में है, जब माता–पिता करजा ले लेते हैं तो उसे चुकाने के लिए अपना व बच्चों का श्रम देकर उस करजे को उतारने की कोशिश करते हैं। जहाँ उनके साथ दुर्व्यवहार होता है। यह बंधुआ मजदूरी एक पीढी से दूसरी पीढी तक चलती है।

**12. बच्चों की तस्करीः** सही अर्थो में बच्चों की तस्करी, गुलामी, जबरन श्रम और शोषण के उद्वेश्य से उठाकर या कहें कि बच्चों की चोरी कर उनके अंग को बेचना ही तस्करी है ताकि बच्चों को अपाहिज बनाकर उनसे भीख मंगवायी जा सके। इसी उद्वेश्य से बच्चों की तस्करी की जाती है।

**13. यौन उपभोगः** बिना सहमति के शारीरिक संबंध बनाना, जो बच्चे सहमति या असहमति देने में अक्षम हैं ऐसी बाल हिंसा मानवता को शर्मसार करती है। इसमें बलात्कार यौन दुर्व्यवहार, गलत स्पर्श इत्यादि शामिल है।

**14. किसी भी संबंधी द्वारा इंटरनेट पर पॉर्न साइट देखने के लिए उकसानाः** ये साइट बच्चों में सेक्स को लेकर विकृत सोच पैदा करती है।

**15. माजाक उड़ाना, डरानाः** धमकाना, भेदभाव, ठुकराना व अन्य अमानवीय कठोर व्यवहार या कदम।

**16. मॉल व शोरूम के ट्रायल रूम में कपड़े ट्राई करते समय कैमरे का दुरूपयोग कर बच्चों को ब्लैक मेल करना, भी उनके विरुद्व हिंसा का नवीनतम स्वरूप ही परिलक्षित होता है।**

इस प्रकार उपरोक्त सभी हिंसात्मक स्वरूपों के आधार पर कहा जा सकता है कि,''अशिष्ट व्यवहार, मानसिक दुर्व्यवहार, यौन दुर्व्यवहार के रूप में बच्चों के विरुद्व हिंसा को समझा जा सकता है। इसी कड़ी में जब हम डिजिटल इंड़िया की बात करते हैं तब हम यह भी देखते हैं कि जो पॉर्न सामग्री बांटी जा रहा है उस पर सरकार का नियंत्राण नहीं बच्चों के यौन शोषण को प्रेरित करने वाला एक बड़ा माध्यम पॉर्न सामग्री है। ताजा आंकलन के अनुसार पोनोग्रापफी का बाजार 101 बिलियन डालर ;6.7 लाख करोड़ रूपये के बराबर है। हर 34 मिनट में एक पॉर्न फिल्म तैयार होती है।

**बच्चों के प्रति हिंसा या अपराध के परिणामः** बच्चों पर होने वाली हिंसाओं के परिणामस्वरूप उनकी सामाजिक, शारीरिक व पारिवारिक स्थिति पर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ता है जिसे हम निम्नलिखित बिन्दुओं द्वारा समझ सकते हैं।
1. हिंसा के शिकार बच्चे, धूम्रपान, शराब या मादक पदार्थों का सेवन, हीन भावना से ग्रसित हो जाते हैं।
2. आत्महत्या या अन्य प्रकार की मानसिक समस्याओं के शिकार हो सकते हैं।
3. अनचाहे गर्भधारण के शिकार एवं संभोग जनित बीमारियों जैसे–एच.आई.वी. के शिकार हो जाते हैं।
4. गलत आदतों की नकल करने से जल्द बुढ़ापे की ओर अग्रसर होते हैं। उनमें केंसर, डाइबिटीज जैसी घातक बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं। गलत आदतें जैसे– तम्बाकू, अफीम, गांजा, मधपान का सेवन।
5. हिंसा का शिकार बच्चे स्कूल छोड़ने के बाद रोजगार पाने में दिक्कत का सामना करते हैं और हिसंक प्रवृति में बने रहने की आशंका होती है।

**कारणः** बच्चों के प्रति होने वाली हिंसा या अपराध बहुआयामी है जिसके कारण समाज, समुदाय एवं निकट संबंधी हैं जो हिंसा से पीड़ित के लिए भाँति–भाँति तरह की समस्याएँ पैदा करती हैं। ये कारण निम्नलिखत स्तर पर देखे जा सकते हैं।

**व्यक्तिगत स्तर पर**
1. शिक्षा का निम्न स्तर।
2. निम्न आय एवं मानसिक स्वास्थ की समस्याएँ।
3. समलैंगिकता।
4. मादक पद्वार्थों का खतरनाक प्रयोग।
5. हिंसा का सहारा लेने का चलन।

**नजदीकी संबंध्यिों के स्तर पर**
1. बच्चों व माता–पिता तथा संरक्षकों के बीच भावनात्मक लगाव की कमी।
2. परिवार का अलग होना।
3. गलत लोगों के साथ जुड़ाव।
4. अनइच्छित विवाह।

**''समुदाय के स्तर पर मुख्य जोखिम पूर्ण तत्व**

1. शराब का आसानी से उपलब्ध होना।
2. गैर कानूनी कार्य करने वालों का जमावडा।
3. अतिसघन जनसंख्या घनत्व।
4. अल्प आय एवं गरीबी

**समाज के स्तर पर मुख्य जोखिम पूर्ण तत्व–**

1. अपर्याप्त सामाजिक सुरक्षा।
2. कमजोर प्रशासन एवं लचर कानून व्यवस्था।
3. लैंगिक सामाजिक समानताएँ।''[4]
4. उपरोक्त सभी कारण ऐसी आवोहवा पैदा करते हैं कि बालकों के विरुद्व हिंसा आम बात हो जाती है।

**बच्चों के विरुद्व अपराध एक कम्भीर सामाजिक समस्या**

आज के इस आधुनिक व विकसित समाज में बालकों के विरुद्व होने वाली हिंसा एक गम्भीर सामाजिक समस्या के रूप में जन्म ले चुकी है यह समस्या कोई नई नहीं बल्कि सदियों पुरानी है हाँ इतना अवश्य है कि आज यह नये–नये स्वरूपों में समाज में फैलती जा रही है जो कि गम्भीर समस्या का रूप ले चुकी है। समाज में परिवर्तन असन्तुलित रूप में हो रहा है इससे बालकों का मन मस्तिष्क बुरी तरह प्रभावित है। पारिवारिक सदस्यों का उचित समय व ध्यान न देना उनको गलत राह पकड़ने पर मजबूर कर रहा है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है वह समाज में रहकर अपनी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति भी समाज में ही करता है। यहाँ यह आवश्यक है कि समाज में सहयोग एवं शक्ति की भावना पाई जाए। ''बच्चों के प्रति होने वाले अपराध एक समस्या है जो कि समाज की जड़ों को खोखला करने का काम करते हैं। इसलिए यह आवश्यक है कि इस गंभीर समस्या की रोकथाम कर समाज से समाप्त किया जाए।''[5]

व्यापक धरातल पर बच्चों के खिलाफ हो रही बर्वर–हिंसा को एक घटना के रूप में देखा जाता है और हर घटना पर मोमबत्ती आंदोलन होता है। किसी भी समाज के मूल चरित्र का निर्धारण बच्चों के किए जाने वाले बर्ताव से ही हो सकता है, हमारा बर्ताव बता रहा है कि भारत का समाज बर्वर व्यवहार के साथ असभ्यता के नए मुकाम की तरफ बढ़ रहा है। जब परिजन ही बलात्कार करते है, तब भी परिजन ही तय कर लेते हैं कि अपराधी को सजा मिले या नहीं! परिजनों को लगता है कि यदि कानूनी कार्य वाही होगी तो 'उनके कुटुंभ की गरिमा धूमिल होगी, मानो बच्चों से बलात्कार करके उनकी गरिमा में 'चार चाँद' लग रहे हो। शिक्षा केन्द्रों, घरों, ऑपिफस, बाल संरक्षणगृह व देखभाल के लिए संस्थाओं में भी बाल शोषण व यौन दुर्व्यवहार हो रहे हैं।

**बच्चों के विरुद्व अपराध की रोकथाम के केन्द्र बिन्दु**

इस संबंध में डॉ. कलाम ने कहा था कि, ''बच्चों के अधिकारों और उनकी आकांक्षाओं के संरक्षण के बिना न्यायसंगत समाज का निर्माण नहीं किया जा सकता। भविष्य की वैश्विक चुनौतियों का सामना करने के लिए बच्चों की अंतर्निहित रचनात्मक क्षमताओं को पहचानकर उन्हें प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। जब तक हमारे बच्चे सुरक्षित नहीं होते तब तक 'न्यू इंडिया के विजन' और भारत के रूपान्तरण के लक्ष्य को पूरा नहीं किया जा सकता है।''6 बच्चों के प्रति मानसिकता को बदलने के लिए सक्रिय रूप से समाज की प्राथमिक इकाई 'परिवार से शुरूआत करनी आवश्यकता है।

1. बच्चों पर होने वाली हिंसा को रोकने के लिए उन सभी जोखिम तत्वों जैसे– समाज, समुदाय, व्यक्तिगत एवं नजदीकी संबंधियों इत्यादि पर अध्कि ध्यान देने की आवश्यकता है।
2. उग्र अनुशासन पर पाबंदी एवं कानूनों का सख्ती से पालन होना चाहिए।
3. मधपान, अश्लील साहित्य व इंटरनेट पर उपलब्ध गलत पॉर्न वीड़ियों पर रोक होनी चाहिए।
4. सुरक्षित माहौल एवं हिंसा के लिए 'हॉट स्पॉट' की पहचानकर पुलिसिंग कर समस्या को रोकने का प्रयास होना चाहिए।
5. श्रेष्ठ संरक्षक या पालनहार बनने का प्रशिक्षण भी देनार चाहिए मुख्यतः जो प्रथम बार माता–पिता बनें।
6. आर्थिक स्थिति सुदृड़िकरण पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।
7. बच्चों की शिक्षा रोजगार परक हो, इस पर भी नीति एवं योजनाओं को क्रियान्वित करने की आवश्यकता है।
8. हिंसा से शिकार बच्चों के लिए प्रभावी आपातकालीन व्यवस्था होनी चाहिए।

**निष्कर्ष**

आज के इस प्रौद्योगिक समाज में बालको के प्रति हिंसा समाज में कलंक है। यदि हम ये सोचते है कि किसी भी समस्या को समाप्त करने की जिम्मेदारी सरकार की है तो यह गलत है सच तो यह है कि सरकारों व समाज को मिलकर बच्चों के हितों की रक्षा करनी होगी। हमें अपनी उस परम्परा को अब बदलना होगा, जिसमें बच्चों को बड़ों पर सवाल न करने की सीख दी जाती रही है। जिससे वो राह से न भटकें और समाज का मुख्य पक्ष बने रहें। इस तरह 'बच्चों की देखभाल और संरक्षण अधिनियम' में संशोधन करते समय इंसानियत व इंसाफ मुख्य उद्वेश्य हो।

**संदर्भ गृंथ**


1. बच्चों के प्रति बढ़ते अपराध, समाज के लिए घातक, https://www.bhaskar.com.news
2. hindiiasbook.com/crimeagainstchildren
3. डॉ. सुधा शर्मा, बालश्रम–मानवाधिकारों का खुला उल्लंघन, राध कमल मुकर्जीः चिन्तन परम्परा जुलाई–दिसम्बर, 2018
4. Violence against children, crime in india, 2015

5. Jetir may, 2016, 3(5).
6. https://www civilhindipedia.com/blogs/blog crime againstchildren in india